

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2014/ 1650

दिनांक:- 21/1/14

आदेश

आवासन मण्डल की तारुसर आवासीय योजना, नागौर में अनिस्तारित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 18 एवं मध्यम आय वर्ग-“अ” के उपलब्ध 05 आवासों को नीलामी द्वारा निस्तारण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	योजना का नाम	उपलब्ध सरप्लस (निरस्त/अवशिष्ट) आवासों के नम्बर	आवास संख्या
1.	EWS	तारुसर आवासीय योजना, नागौर	1/364, 1/365, 2/266, 2/324, 2/347, 2/348, 2/355, 2/359, 2/360, 2/381, 2/382, 2/517, 2/572, 2/576, 2/627, 2/614, 2/591, 2/412 'c'	18
2.	MIG-A	तारुसर आवासीय योजना, नागौर	1/10, 1/11, 1/179, 1/180, 1/181	05
			कुल आवास =	23

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन है।

-sd.
(ललित कुमार)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक